भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4842
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत भुगतान

4842. श्री राहुल गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 01 मार्च, 2025 तक एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में देरी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) 01 मार्च, 2025 तक उत्तर प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस के तहत भुगतान में औसत देरी का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या श्रमिकों को विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान विलंबित मजदूरी के प्रदत मुआवजे का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, लाभार्थियों को कार्य के मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (28.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, उत्तर प्रदेश में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर 99.39% निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार किए गए हैं।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की जिले-वार संख्या जिनके मजदूरी भुगतान में देरी हुई है अनुबंध-I में दी गई है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (28.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश में मस्टर रोल बंद होने से टी +8 दिनों के भीतर निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार करने का जिला-वार प्रतिशत अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ड.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी चाहने वाले, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक देरी के लिए प्रतिदिन भुगतान नहीं की गई मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, विलंब मुआवजा नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मुआवजे के लिए देय राशि का विधिवत सत्यापन और अनुमोदन किया जाता है, और फिर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश में भुगतान किए गए विलंब मुआवजे का जिला-वार ब्यौरा (नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च): भारत सरकार ने समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) को उन्नत बनाना।

(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि की कार्यनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।

(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान, जिनमें वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, मध्यावधि समीक्षा बैठक, मासिक समीक्षा बैठक और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा शामिल है, मजदूरी के समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4842 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की जिले-वार संख्या जिनके मजदूरी भुगतान में देरी हुई है।		
क्र. सं.	जिले का नाम	कुल प्रभावित श्रमिक
1	आगरा	4542
2	अलीगढ़	451
3	अंबेडकर नगर	553
4	अमरोहा	604
5	औरैया	819
6	अयोध्या	2222
7	आजमगढ़	1286
8	बागपत	350
9	बहराइच	13750
10	बलिया	717
11	बलरामपुर	10156
12	बाँदा	1385

13	बाराबंकी	373
14	बरेली	2531
15	बस्ती	713
16	बिजनौर	2951
17	बदायूं	988
18	बुलंदशहर	263
19	चंदौली	11226
20	चित्रकूट	222
21	देवरिया	300
22	एटा	4868
23	इटावा	143
24	फर्रुखाबाद	75
25	फतेहपुर	1479
26	फिरोजाबाद	151
27	गाजियाबाद	40
28	गाजीपुर	1166
29	गोंडा	2027
30	गोरखपुर	1791
31	हमीरपुर	3644
32	हरदोई	5042
33	हाथरस	92
34	जालौन	4990
35	जौनपुर	2151
36	झांसी	914
37	कन्नौज	1804
38	कानपुर देहात	990
39	कानपुर नगर	1159
40	कौशाम्बी	2019
41	खेरी	536
42	कुशीनगर	8931
43	ललितपुर	185

44	लखनऊ	1402
45	महाराजगंज	1290
46	महोबा	334
47	मैनपुरी	828
48	मथुरा	891
49	मऊ	655
50	मेरठ	5053
51	मिर्जापुर	2913
52	मुरादाबाद	4597
53	मुजफ्फरनगर	220
54	पीलीभीत	980
55	प्रतापगढ़	4494
56	प्रयागराज	1515
57	रायबरेली	1393
58	रामपुर	2318
59	सहारनपुर	1838
60	संत कबीर नगर	128
61	संत रविदास नगर	312
62	शाहजहांपुर	93
63	श्रावस्ती	2419
64	सिद्धार्थ नगर	55
65	सीतापुर	6490
66	सोनभद्र	1795
67	सुल्तानपुर	4396
68	उन्नाव	3804
69	वाराणसी	645

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4842 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में मस्टर रोल बंद होने से टी +8 दिनों के भीतर निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार करने का जिला -वार प्रतिशत (28.03.2025 की स्थिति के अनुसार)		
क्र. सं.	**जिले**	**मस्टर रोल बंद होने से T+8 दिनों के भीतर तैयार एफटीओ (%)**
1	आगरा	93.35
2	अलीगढ़	98.17
3	अंबेडकर नगर	98.82
4	अमेठी	96.98
5	अमरोहा	96.82
6	औरैया	97.32
7	अयोध्या	95.15
8	आजमगढ़	97.21
9	बागपत	77.32
10	बहराइच	94.79
11	बलिया	98.34
12	बलरामपुर	93.27
13	बाँदा	94.91
14	बाराबंकी	97.82
15	बरेली	94.1
16	बस्ती	99.02
17	बिजनौर	94.64
18	बदायूं	97.92
19	बुलंदशहर	94.21
20	चंदौली	90.38
21	चित्रकूट	97.26

22	देवरिया		96.71
23	एटा		92.08
24	इटावा		94.2
25	फर्रुखाबाद		98.88
26	फतेहपुर		95.57
27	फिरोजाबाद		95.71
28	गौतम बुद्ध नगर		0
29	गाजियाबाद		100
30	गाजीपुर		97.08
31	गोंडा		94.3
32	गोरखपुर		97.96
33	हमीरपुर		95.68
34	हापुड़		89.14
35	हरदोई		91.3
36	हाथरस		95.93
37	जालौन		94.52
38	जौनपुर		96.99
39	झांसी		96.28
40	कन्नौज		93.51
41	कानपुर देहात		94.41
42	कानपुर नगर		93.68
43	काशगंज		95.72
44	कौशाम्बी		90.65
45	खेरी		97.44
46	कुशीनगर		91.29
47	ललितपुर		96.27
48	लखनऊ		92.66
49	महाराजगंज		98.57
50	महोबा		95.59
51	मैनपुरी		95.32
52	मथुरा		95.32

53	मऊ	98.76
54	मेरठ	82.82
55	मिर्जापुर	95.38
56	मुरादाबाद	95.66
57	मुजफ्फरनगर	98.15
58	पीलीभीत	95.01
59	प्रतापगढ़	98.35
60	प्रयागराज	97.41
61	रायबरेली	96.8
62	रामपुर	96.74
63	सहारनपुर	92.84
64	संभल	95.79
65	संत कबीर नगर	97.71
66	संत रविदास नगर	97.06
67	शाहजहांपुर	98.71
68	शामली	96.74
69	श्रावस्ती	92.81
70	सिद्धार्थ नगर	99.44
71	सीतापुर	93.94
72	सोनभद्र	97.62
73	सुल्तानपुर	96.05
74	उन्नाव	97.34
75	वाराणसी	96.57
	औसत	**95.94**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4842 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश में भुगतान किए गए विलंब मुआवजे का जिलावार ब्यौरा।			
क्र. सं.	**जिले**	**विलंब के लिए दिया गया मुआवजा (रु. में)**	
		2022-23	**2023-24**
1	आगरा	0	37469
2	औरैया	13113	3586
3	बहराइच	0	353
4	बाराबंकी	380	57
5	बिजनौर	220	0
6	चित्रकूट	0	1345
7	फिरोजाबाद	307	52912
8	गोंडा	181	0
9	गोरखपुर	0	15783
10	हमीरपुर	40225	20867
11	हरदोई	2340	3012
12	हाथरस	39918	591
13	जालौन	0	4174
14	कानपुर नगर	726	14801
15	खेरी	14435	5861
16	ललितपुर	7150	6367
17	लखनऊ	0	210
18	महाराजगंज	0	1890
19	मऊ	33	719
20	मेरठ	0	4
21	प्रयागराज	151751	73963
22	रायबरेली	0	92

23	रामपुर	0	286760
24	सहारनपुर	971	9130
25	सोनभद्र	0	4240
26	सुल्तानपुर	0	53796
	कुल	**2,71,750**	**5,97,982**